न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 19/2011

उनवान

1. भंवरी पत्नी पन्ना जाति–गुर्जर नि0 ग्राम मण्डियानी नसीराबाद
-- वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. किशना पि. बालू,
2. हमीरा मु0 हीरा,
3. छोटी पत्नी रामचन्द्र,
4. अमरचन्द,
5. राजू पि0 रामचन्द,
6. भंवरी पत्नी काना,
7. धर्मेन्द्र पि. काना
8. नौसर पुत्री काना समस्त जाति– गुर्जर नि0 ग्राम मण्डियानी नसीराबाद
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित 2 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.3.21

वादिया ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी में वादिया की कयशुदा आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	पुराने ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
259/257	1353 मिन	3–12–0	1054	0.40
			1237	0.18
	1357	06–05–00	1237/2005	1.01
	1356 मिन	00–16–00	1047/2209	0.13
	1366	00–05–00	1045	0.04

उपरोक्त आराजी वादिया ने दिनांक 21.07.05 को प्रतिवादी संख्या 1 से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 20.12.2005 को अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभग ने उक्त आराजर त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के नाम दर्ज कर दी गयी जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व [illegible] है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादिया को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें [illegible] निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रति[illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख [illegible] आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामच[illegible] काना पि0 हजारी थे। हीरा फौत होने से नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.1[illegible] को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी। तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण/वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1 व 2 भू प्रबन्ध विभाग ए0एस0ओ0 के द्वारा अंकन किया गया है प्रथम दृष्टया शून्य है क्यो कि बंदोबस्त विभाग को नामान्तकरण भरने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। पूर्व नामान्तकरण में गलत प्रविष्ट अंकित की गयी जो हाल राजस्व अभिलेख में दुरूस्त की गयी है। आराजी मुतनाजा पर वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अत. वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी –

1. आया वादग्रस्त आराजी वादिया की विधिक क्रयशुदा होने से वादिया खातेदारी प्राप्ति की अधिकारणी है ?

— वादिया

2. आया विक्रय पत्र फर्जी होने से वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादिया भंवरी व गवाह सरदारा के बयान दर्ज करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 1353, 1357, 1356 व 1366 हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वादिया द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 3–12–0, 1357 मिन रकबा 6–5–0, 1356 मिन रकबा 0–16–0, 1366 रकबा 0–5–0 किशना पुत्र बालू से क्रय करना बताया गया। व वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 20.12.05 द्वारा वादिया के नाम विक्रय पत्र की पालना में दर्ज होना अंकित है। वर्किंग जमाबंदी अनुसार नामा0स0 1/22.07.85 से वर्किंग खसरा नम्बर 1356 व 1366 भूरा, काना, बालू पि. कल्ला, हीरा पुत्र श्योराम, छीतर पुत्र सालू के नाम दर्ज हुआ तथा नामा0 सं. 2/02.09.85 द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 1357 व 1362 भूली पत्नी बालू, किशना, प्रभु पि0 बालू के नाम दर्ज हुआ है। नामा0 स0 1 द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 1356 व 1366 विक्रेता के नाम दर्ज नही कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये है। साथ ही नामा. स. 2 मे भी खसरा नम्बर 1357 व 1362 ही विक्रेता व अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये है। किन्तु उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति वादिया ने पेश नही की है। उक्त दोनो नामान्तकरण भू संशोधन जमाबंदी में भरा होना वर्किंग जमाबंदी में अंकित है। भू संशोधन की मान्यता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी है। जिस कारण बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज को नही दोहराया है। अतः वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादिया ने आराजी मुतनाजा किशना पुत्र बालू से क्रय करना बताया है किन्तु वर्किंग जमाबंदी व पूर्व के राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी विक्रेता के नाम विधिक रूप से दर्ज नही थी। अतः तनकी विरूद्व वादिया बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.40, 1237 रकबा 0.18, 1237/2005 रकबा 1.01, 1047/2209 रकबा 0.13 व 1045 रकबा 0.04 की आराजी पर वादिया का वाद **''खारिज''** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरी बनाम हमीरा वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 19/2011
पेश करने की दिनांक – 11.2.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर सुखदेव चौधरी अभिभाषक मुद्दई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.40, 1237 रकबा 0.18, 1237/2005 रकबा 1.01, 1047/2209 रकबा 0.13 व 1045 रकबा 0.04 की आराजी पर वादिया का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 26 माह 03 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:43 IST
Reason: SelfAttested